

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज निर्मलादेवी बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 18/2020</p>	<p>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>27.01.20</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी निर्मलादेवी सुथार पता 121, मेन रोड़ आंगणवा, पोस्ट सुरपुरा, मण्डोर जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 20.11.2019 में उसके द्वारा (1) वादीनी निर्मलादेवी सुथार बनाम धन्नालाल उर्फ धन्नाराम दिनांक 08.11.19 व आगामी पेशी 23.12.2019 वाद संख्या 03/2019 बंटवाड़ा 88 व 188 की ऑर्डरसीट की सम्पूर्ण पत्रावली की छाया प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.(उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	